समक्ष - राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

राजस्व निगरानी प्रकरण क्र0- 4230/II/2012

114

आवेदकगण :: (1) भोपाल प्रसाद बल्द स्व0 बद्री प्रसाद पटैल
(2) ईश्वरी प्रसाद आत्मज स्व0 बद्री प्रसाद पटैल
दोनो निवासी- मौजा खजरी, तह0 पनागर
जिला जबलपुर

12/12/12 प्रस्तुत

(3) राधिका प्रसाद आत्मज राजाराम पटैल
(4) वर्षुभुज आत्मज राजाराम पटैल
(5) धनश्याम आत्मज राजाराम पटैल
तीनो निवासी- मैत्री नगर, मौजा महाराजपुर
तहसील पनागर जिला जबलपुर
(6) गोविन्द प्रसाद आत्मज राजाराम पटैल
निवासी-म0नं0- 55 पटैल नगर, मौजा-
महाराजपुर, तह0 पनागर, जिला जबलपुर

प्रमाणित
3/4/13
(प्रतिलिपि ...)

विरुद्ध

अनावेदक :: धनीराम आत्मज स्व0 बद्री प्रसाद पटैल
निवासी-ग्राम खजरी, तहसील पनागर, जिला जबलपुर

रिवीजन - धारा-50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत

आवेदकगण न्यायालय अपर कलेक्टर जिला दमोह के पुर्नरीक्षण प्रकरण क्र0- 14/अ-6/2010-11 गोपाल प्रसाद एवं अन्य -विरुद्ध- धनीराम पटैल में पारित आदेश दिनांक 29/9/2012 से दुखित होकर यह रिवीजन माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत करते है:-

---: त थ्य :---

1- यह कि आवेदकगण एवं अनावेदक एक ही कुटुम्ब परिवार खानदान के सदस्य है । आवेदकगण एवं अनावेदकगण के खानदान की सम्पत्ति मौजा लालपुरा एवं गिहलपुरा प0ह0नं0-4 तहसील जबेरा जिला दमोह में निम्नानुसार हैजिसका विवरण निम्नानुसार है :-

मौजा	खसरा नं0	रकबा
लालपुरा	9	2.96 है0

...2

11

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4230-दो/2012 जिला दमोह भोपाल प्रसाद विरूद्ध धनीराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 14/अ-6 /2010-11 में पारित आदेश दिनांक 29-09-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 12-12-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की	

सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य 7.1.19